



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 23-09-2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 04 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 25 पेटी अवैध पटाखे बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 04 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से 25 पेटी अवैध पटाखे बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुल्तान पुत्र शहजाद निवासी फरखनगर थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद ।
- 2-ब्रह्मपाल पुत्र ढालचन्द निवासी ग्राम गुडहा थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ हाल पता कस्बा भोपरा थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद ।
- 3-सलमान पुत्र जमशेद निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-इस्माइल पुत्र सलाउद्दीन निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



बरामदगी का विवरण-

- 25 पेटी अवैध पटाखे ।
- तस्करी में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नं0 DL-1LAH-5696
- 01 वैगनआर गाड़ी DL-5CH-1172

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 राकेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-का0 1083 शुभम राणा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-का0 250 कोमल सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-का 241 सचिन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6-का0 330 हरेन्द्र सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7-का0 678 पुनीत कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 23.09.2023

थाना छपरौली द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त विशाल को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त अभियुक्त विशाल की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक 20-09-2023 को 10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त जुनैद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विशाल पुत्र राजीव निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 12/23 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 23/23 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 205/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्र0नि0 श्री रवि रतन सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-का0 908 योगेश कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-का0 880 गीतम थाना छपरौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 23.09.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 248/23 धारा 307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2023 को वादी सुनील कुमार पुत्र सतवीर सिंह निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि उसके दादा प्रकाश पुत्र बनवारीलाल ने उसकी दादी को जान से मारने की नियत से उसका गला दबाकर चाकू से वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 248/23 धारा 307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 248/23 धारा 307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रकाश पुत्र बनवारीलाल निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद
बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-है0का0 200 अनुराग रौसा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।